न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2016
प्रविष्टि दिनांक 18.01.2016

लालाराम पुत्र छोटू मीणा निवासी कोठ्या की ढाणी,मूण्डिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–रामलाल पुत्र हरजी मीणा जाति मीणा निवासी बारेडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–आवंटन सलाहकार समिति निवाई जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय दिनांक 25.07.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को प्रतिपक्षी संख्या–1 को आ0ख0नं0 29/1/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी एंव राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिंनाक 16.06.1992 को प्रतिपक्षी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 29/1/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वाके ग्राम जामडोली मे आवंटन किया गया है। मौके पर उक्त आराजी की कोई भूमि नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट गलत है। प्रतिपक्षी संख्या [illegible] काश्तकार नही है,उसके पिता के नाम करीब 50 बीघा भूमि है। प्रतिपक्षी सं[illegible] आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर फ्रॉड एंव मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार [illegible] आवंटन कराया है। विवादित भूमि के आवंटन के समय उद्घोषणा जारी नही की [illegible] प्रतिपक्षी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

ग्राम बारेडा का निवास है,जबकि भूमि ग्राम जामडोली मे आवंटन की गई है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन नियमो की पालना नही की है। आवंटन से पूर्व आवंटित भूमि का मौका नही देखा गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का कब्जा भी नही दिया गया है। आवंटित भूमि की शीट मे तरमीम भी नही की गई हैं। प्रतिपक्षी संख्या 1 हजारी का पुत्र नही है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समित ने प्रतिपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार आवंटन किया है। आवंटन के समय प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम कोई भूमि नही थी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन दिनांक 16.06.1992 को किये जाने के उपरान्त दिनांक 18.12.1992 को दो स्वंतत्र गवाह के सामने सुपुर्दगी मे दी गई है। उक्त आवंटन का अमल जमाबंदी संवत 2051–5054 खाता संख्या 481 पर बतौर गेर खातेदारी मे दर्ज है। तथाकथित खसरा नम्बर के सबंध मे पूर्व मे न्यायालय हाजा मे धूल्या पुत्र समरस्या जाति तेली निवासी जामडोली तहसील निवाई द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2000 से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को आराजी खसरा नम्बर 29/1/1 मे रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखते हुये प्रार्थी धूल्या का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) अस्वीकार किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे ही इस खसरा नम्बर बाबत निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 रामलाल पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी बारेडा तहसील निवाई को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1992 को केम्प जामडोली मे आ0ख0न0 29/1/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम जामडोली मे आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि दिनांक 18.12.1992 को सुपुर्दगी मे दी गई है। चूंकि विवादित खसरा नम्बर 29/1/1 वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई का न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे ही दिनांक 04.09.2000 को निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित किया जाना हम उचित नही समझते है। फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक